भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.12.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2715 का उत्तर

महू-धार झबुआ-दाहोद रेल लाइन

2715. श्री गुमान सिंह दामोरः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महू, पीथमपुर, धर, झबुआ और दाहोद की निर्माणाधीन रेलवेलाइन के लिए अब तक भूमि अधिग्रहण का कितना कार्य बाकी है और उक्त कार्य के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ख) उक्त रेलवे लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और इसे कब तक वास्तव में पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) उक्त परियोजना के आरंभ के समय इसकी लागत क्या थी और वर्तमान में इस पर कितनी निधि व्यय की गई है; और

(घ) उक्त परियोजना के पूरा किए जाने तक अनुमानतः कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

महू-धार झबुआ-दाहोद रेल लाइन के संबंध में दिनांक 04.12.2019 को लोक सभा में श्री गुमान सिंह दामोर के अतारांकित प्रश्न सं. 2715 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): अमझेरा के रास्ते संरेखण में परिवर्तन के लिए वस्तुपरक आशोधन सहित सरदारपुर, झबुआ और धार के रास्ते दाहोद-इंदौर (204.76 कि.मी.) नई लाइन परियोजना को 2007-08 के बजट में शामिल किया गया है। इस परियोजना की प्रत्याशित लागत 1640 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के लिए 31.03.2019 तक 640 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है और वर्ष 2019-20 के लिए 175 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

इंदौर-रऊ-टीही (21 कि.मी.) खंड यातायात के लिए खोल दिया गया है और शेष खंड पर, जहां-कहीं भूमि उपलब्ध है, कार्य शुरू कर दिया गया है।

परियोजना के स्वीकृत होने के वर्ष से 5 वर्षों के भीतर इस परियोजना को पूरा करने की कल्पना की गई थी, परंतु 2013-14 तक अपर्याप्त धन के आबंटन के कारण विलंबित हो गई क्योंकि भूमि अधिग्रहण की योजना और कार्य के निष्पादन को तदनुसार किया गया था। बहरहाल, 2014-15 से आगे, परियोजना के लिए धन आबंटन में वृद्धि की गई और इस परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी आई है। 2014-15 से 2018-19 के दौरान इस परियोजना के लिए कुल बजट आबंटन 476.89 करोड़ रु. किया गया है, जो 2009-10 से 2013-14 के दौरान कुल बजट आबंटन (119.48 करोड़ रु.) का 399.13% है।

204.76 किमी में से अभी तक 76 किमी की भूमि का अधिग्रहण कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष 128.76 किमी लंबाई में से 889.70 हैक्टेयर भूमि (275.54 हैक्टेयर सरकारी भूमि, 529.11 हैक्टेयर निजी भूमि और 85.05 हैक्टेयर वन भूमि) के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजातों को गुजरात और मध्य प्रदेश के संबंधित जिला भूमि प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए 111.73 करोड़ रु. राज्य सरकारों को पहले ही जमा करा दिए गए हैं।

यह परियोजना काफी चुनौतीपूर्ण है और इसमें लंबी सुरंगें और पुल शामिल हैं। किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों पर) की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, भूकंप, बाढ, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का

सामना करना, माननीय न्यायालयों के आदेश, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तें आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना की निष्पादन के समय और लागत को प्रभावित करते हैं। अत: इस परियोजना के लिए कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

****